सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः– 47/2024 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/93), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. तुलाराम
2. मेवाराम } पुत्रगण मोतीसिंह
3. फतेह सिंह
4. श्याम सिंह } पुत्रगण खुशीराम

} जातियान जाट नि0 बरौलीचौथ तहसील व जिला डीग(राज0)

–वादी

बनाम

1. तहसीलदार डीग प्रतिनिधि राज0 सरकार डीग
2. कृष्णपाल पुत्र देवेन्द्र सिंह
3. गीतादेवी पुत्री देवेन्द्र सिंह
4. पवन पुत्र देवेन्द्र सिंह
5. भूपेन्द्र पुत्र देवेन्द्र सिंह
6. मीना देवी पत्नी देवेन्द्र सिंह
7. रंजीत सिंह पुत्र हुकम सिंह

} जातियान जाट नि0 ग्राम बरौलीचौथ तहसील डीग

8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बहज तहसील डीग जरिये शाखा प्रबंधक

–प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी. एक्ट,सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट,

निर्णय दिनांकः08.03.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 489/0.10, 490/0.07, वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग में स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान साविक खसरा नम्बर 160/1–7 से बनाये गये है इस प्रकार एक बीघा 7 विस्वा हैक्टेयर में 0.22 है0 बनता है। जबकि नवीन नम्बरान 489 व 490 में केवल 0.17 है0 रकबा खिलाफ मौका व कब्जा सैटिलमेंट विभाग ने दर्शाया है तथा 0.05 है0 रकबा वादीगण की खातेदारी में कम दर्शाया है साविक खसरा नम्बर 160 को इन दोनों नम्बरान के अलावा अन्य किसी नम्बर में शामिल नहीं किया गया है। प्रति0 संख्या 02 लगायत 07 के वादीगण के पडौस में नवीन खसरा नम्बरान 491 व 492 जोकि 0.13 व 0.20 है0 रकबा के है उक्त खसरा नम्बरान साविक खसरा नम्बर 150 रकबा 1 वीघा 16 विस्वा जोकि नवीन नाप में 0.28 है0 बनता है। इस प्रकार प्रति0 के उक्त खसरा नम्बर 0.05 है0 रकबा अधिक दिखा दिया गया है और उक्त 0.05 है0 रकबा वादीगण के रकबा में से कम करके खिलाफ मौका व कब्जा व नक्शा प्रति0 संख्या 02 लगायत 07 को

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

सपठित धारा 111 एल आर एक्ट

Scanned with OKEN Scanner

ज्यादा राजस्व रिकार्ड में दे दिया है उक्त गलती सहवन है। प्रति0 के खसरा नम्बर 491 व 492 को जो खसरा नम्बर 150 से बनाये गये है में से 05 ऐयर रकबा वादीगण के खसरा नम्बरान 489/0.10, 490/0.07 वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग में राजस्व रिकार्ड में बढाया जाकर तदनुसार नक्शा तरमीम किया जावे। अतः निवेदन है कि प्रति0 के आराजी खसरा नम्बर 491 व 492 का जो रकबा 0.13 व 0.20 है0 दर्शाया है वह गलत है और उक्त रकबा में से 05 ऐयर रकबा कम करके वादीगण के नवीन नम्बरान 489 व 490 वाके ग्राम पूँछरी जो वर्तमान में 10 व 7 ऐयर के है में 0.05 है0 रकबा और जोडा जाकर अनुसार राजस्व रिकार्ड में मिलान क्षेत्रफल में दुरूस्त किया जावे व तद्नुसार नक्शा में संशोधन किया जाकर नवीन मेड कायम किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 30.08.2024 को प्रति0 संख्या 1 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 13.01.2025 को उभय पक्ष के द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में वर्णित किया गया है कि हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस में सहवन त्रुटि से हुई भूल को दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बरान 489/0.10, 490/0.07 वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग में रकबा 0.04 है0 बढाये जाने में व हम प्रति0 की खातेदारी के खसरा नम्बर 491 व 492 में से रकबा 0.04 है0 कम किये जाने में व मौके के अनुसार नक्शा में तरमीम किये जाने में हम प्रति0 को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। प्रति0 संख्या 8 के विरूद्व दिनांक 11.02.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 13.01.2025, का अवलोकन व वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। हम मुताविक उभय पक्ष राजीनामा दिनांक 13.01.2025 के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य/मुताविक राजीनामा उभय पक्ष दिनांक 13.01.2025 से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। राजीनामा उभय पक्ष दिनांक 13.01.2025 निर्णय व डिक्री का जुज/भाग रहेगा। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner